रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-44

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 553] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 1980/अग्रहायण 17, 1902
No. 553] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 1980/Agrahayana 17, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1980

का० आ० 945 (अ) :—रेल दर अधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दर अधिकरण नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दर अधिकरण (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1981 को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल दर अधिकरण नियम, 1959 के नियम 29 और उसके पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित नियम और पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"विवाद्यकों की विरचना" "29(1) अधिकरण, अभिवचन समाप्त होने और दस्तावेज फाइल किए जाने के पश्चात् पक्षकारों या उनके अभिवक्ताओं या

लिखित रूप में सम्यक्-प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्रारूप विवाद्यक देने के लिए बुलाएगा।

(2) अधिकरण उसके पश्चात् नियम 30 के खण्ड (क) के अधीन पक्षकारों की परीक्षा के पश्चात्, यदि आवश्यक हो तो विवाद्यकों को विरचित करेगा।

(3) जहां अधिकरण की यह राय है कि विवाद्यक ऐसे कुछ व्यक्तियों की, जो उसके हाजिर हुए हैं, परीक्षा के बिना या ऐसे कुछ दस्तावेजों के, जो उसके सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, निरीक्षण के बिना ठीक तरह से विरचित नहीं किए जा सकते हैं तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए या कोई दस्तावेज पेश किए जाने के लिए विवश कर सकेगा।"

[सं० टी० सी० 1/80/216/1]

के० बालाचन्द्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड और पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1980

S.O. 945(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Railway Rates Tribunal, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Railway Rates Tribunal Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Rates Tribunal (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the 1st January, 1981

2. In the Railway Rates Tribunal Rules, 1959, for rule 29 and the shoulder heading thereto, the following rule and shoulder heading shall be substituted, namely :—

"Framing of issues".

"29. (1 After the closure of the pleadings and the filing of documents, the Tribunal shall call upon the parties or their pleaders or representatives duly authorised in writing to furnish draft issues.

(2) The Tribunal shall thereupon frame the issues, if necessary, after the examination of parties under clause (a) of rule 30.

(3) Where the Tribunal is of opinion that the issues cannot be correctly framed without the examination of some person not before it or without the inspection of some documents not produced, it may, subject to any law for the time being in force, compel the attendance of, or the production of any document by, any person.

[No. TCI/80/216/2]

K. BALACHANDRAN, Secy. Railway Board and ex. Officio Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980